न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

सीमलवाडा जिला डुगंरपुर

पीठासीन अधिकारीः– अनिल कुमार जैन

प्रकरण सख्याः–56 / 21 ई.दी निर्णय दिनांकः–13.07.2021

1 श्री रामलाल पिता वालमा डामोर जाति डामोर उम्र वयस्क निवासी टकारी तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपुर राजस्थान

वादी

बनाम

1 श्री मान तहसीलदार एवं उपपंजीयक महोदय तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान

प्रतिवादी

वाद अर्न्तगत धारा 88 रा.टी एक्ट व 136 भु–राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ताः– श्री कर्तव्य शाह वादी की ओर से

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादी द्वारा एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी व अन्य सहखातेदार के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम टकारी में खाता संख्या 128, खसरा नम्बर 662, खेत किता 1, कुल रकबा 2.2420 हैक्टेयर होकर स्थित है। जो वादी व उसके सगे भाई लक्ष्मण के नाम दर्ज होकर कब्जे काश्त की आराजी है। जिस पर वादी एवं उसके भाई लक्ष्मण का लगातार कब्जा होकर खेती का कार्य किया जा रहा है। और अब वर्तमान में भी कब्जा मौके पर यथावत रूप से बना हुआ है। वादी ने अपने संयुक्त कब्जे काश्त की आराजीयात पर लोन लेने हेतु वादी ने खाते की जमाबंदी नकल निकलवायी तो पता चला की हाल जमाबन्दी में वादी का नाम रामा पिता वालमा डामोर दर्ज है। जबकि आधार कार्ड, पहचान पत्र में रामलाल नाम दर्ज है। जिस पर वादी ने पटवारी से मिलकर उक्त आराजी की नामान्तरण की नकल निकलवाई तो पता चला कि वादी के नाबालिंग अवस्था में ही कॉलम संख्या 2 में अंकित भुमि उसके पिता द्वारा क्रय गई थी। जिसमें वादी का नाम गलती से रामा दर्ज हो गया है। जबकि रामा नाम का वालमा के कोई विधिक वारिसान नहीं है। वादी रामलाल ही वालमा का विधिक वारिसान है। ऐसे में वादी ने राजस्व कर्मचारी व प्रतिवादी संख्या 1 से मिलकर राजस्व रेकोर्ड दुरस्त करने की बात कही राजस्व कर्मचारी ने रिकॉर्ड दूरस्त करने से मना कर दिया। जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया जो वाद म्याद अवधि मे पेश है।

प्रतिवादी को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किया जाना आवश्यक हैकि प्रतिवादी वादी को वादग्रस्त आराजी ग्राम टकारी में खाता संख्या 128, खसरा नम्बर 662, खेत किता 1, कुल रकबा 2.2420 हैक्टेयर से बेदखल न करे।

इस प्रकार वादी ने वाद प्रस्तुत कर दाद चाही है।

क्रमशः पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

वादी द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को जरीए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेज की जांच करने पर रामा पिता वालामा व रामलाल पिता वालामा दोनों एक ही व्यक्ति होने से राजस्व रिकॉर्ड में रामा को रामलाल करना उचित है।

विद्वान अभिभाषक ने बहस कर निवेदन किया जरीये इन्द्राज दुरस्ती ग्राम टकारी में खाता संख्या 128, खसरा नम्बर 662, खेत किता 1, कुल रकबा 2.2420 हैक्टेयर में रामा का नाम हटाकर कर वादी रामलाल पिता वालमा का नाम दर्ज कर वादी रामलाल पिता वालमा को वादग्रस्त आराजी के हिस्से में खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में दस्तावेजों का अवलोकन किया साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी पर वादी खातेदार काश्तकार है। ग्राम टकारी में खाता संख्या 128, खसरा नम्बर 662, खेत किता 1, कुल रकबा 2.2420 हैक्टेयर स्थित है। वर्तमान में भी कब्जा मौके पर वादी रामलाल व अन्य सहखातेदार का अपने अपने हिस्से पर यथावत रूप से बना हुआ है। रामा नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज कर दिया गया है। ऐसे में रामा पिता वालमा की जगह रामलाल पिता वालमा राजस्व रिकॉर्ड दर्ज कर खातेदार काश्तकातर घोषित किया जाता है।

आदेश

प्रकरण में वादी का वाद स्वीकार किया जाता है ग्राम टकारी में खाता संख्या 128, खसरा नम्बर 662, खेत किता 1, कुल रकबा 2.2420 हैक्टेयर में रामा पिता वालमा की जगह रामलाल पिता वालमा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर खातेदार काश्तकातर घोषित किया जाता है।

अनिल कुमार जैन
उपखण्ड अधिकारी
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा
सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 13.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनिल कुमार जैन
उपखण्ड अधिकारी
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा
सीमलवाडा

डिकी व मुकदमें की इब्तदाई

(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)

(सिविल प्रोसीजर कोड, एपेन्डियस डी–1)

ाज अदालत उपखंड अधिकारी सीमलवाडा मुकाम धम्बोला

इजलास श्री उपखंड अधिकारी अनिल कुमार जैन सीमलवाडा

श्री रामलाल बनाम श्री मान तहसीलदार

ाद बाबतः– धारा 88 रा.टी. एक्ट व 136 भु राजस्व अधिनियम

ुकदमा नम्बरः– 56 / 2021 ई.दी

ह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू :– श्री अनिल कुमार जैन

हाजरी :– श्री कर्तव्य शाह मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलाह उपस्थिति होकर हुक्म दिया ाता है डिकी दी जाती है किः–

ग्राम टकारी में खाता संख्या 128, खसरा नम्बर 662, खेत किता 1, कुल रकबा 2.2420 हैक्टेयर में रामा पिता वालमा की जगह रामलाल पिता वालमा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर खातेदार काश्तकातर घोषित किया जाता है।

रे दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 13.07.2021 को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा . . . सीमलवाड़ा . . .

मुदई	रूपया / पेसा	मुदायलाह	रूपया / पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजेह सबुत मेहनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फिस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
		मिजान	
मिजान			

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा